भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 3532
(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

लंबित अभियोजनों में कमी

3532. श्री अनूप संजय धोत्रेः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लंबित अभियोजनों की संख्या को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक वापस लिए गए मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में व्यापार को आसानी से करने में सुधार लाने और कारपोरेट शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित अभियोजनों की समीक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं। 2017 में और बाद में 2022 में, अभियोजन वापस लेने के संबंध में सिफारिशें देने के लिए एमसीए के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों को उन अपराधों से मुक्त करना था जो प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अदालतें गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हों। यह परिकल्पना की गई थी कि प्रक्रियात्मक और तकनीकी प्रकृति के मामलों को एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

जारी...2/-

तदनुसार, 2017 में संचालित विशेष अभियान-I में 14,247 अभियोजन वापस ले लिए गए। इसके अतिरिक्त, 2023 में विशेष अभियान- II में पहचाने गए 7,338 कंपाउंडेबल मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। 30.6.2025 तक, विभिन्न अदालतों से 6267 मामले वापस ले लिए गए हैं।

(ग): व्यवसाय की सुगमता में सुधार करने और कारपोरेट शासन में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय ने हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं जिनमें निम्नलिखित कुछ प्रमुख कदम शामिल हैं -

(i) कंपनी और एलएलपी अधिनियमों के अंतर्गत 63 अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। गैर-अपराधीकरण करने के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य न्यायिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना और अभियोजन मामलों को अधिनिर्णय की ओर स्थानांतरित करना भी रहा है;

(ii) निगमन के लिए केन्द्रीकृत कम्पनी रजिस्ट्रार (सीआरसी) की स्थापना;

(iii) कंपनियों के स्वैच्छिक निकास के लिए त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केन्द्र (सी-पीएसीई) की स्थापना;

(iv) सीधी प्रक्रिया के माध्यम से (एसटीपी) के अंतर्गत फ़ाइल किए गए ई-फार्मों की केन्द्रीकृत संवीक्षा के लिए केन्द्रीय संवीक्षा केन्द्र (सीएससी) की स्थापना;

(v) 50 से अधिक फार्मों को एसटीपी में परिवर्तित करना जिनके लिए पहले फील्ड कार्यालयों का अनुमोदन अपेक्षित था;

(vi) विनिर्दिष्ट गैर-एसटीपी ई-फार्मों के केन्द्रीकृत प्रसंस्करण के लिए केन्द्रीय प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) की स्थापना;

(vii) कंपनी के निगमन के समय एक ही स्थान पर विभिन्न सेवाएं जैसे नाम आरक्षण, निगमन, पैन, टैन, डीआईएन का आवंटन, ईपीएफओ पंजीकरण, ईएसआईसी पंजीकरण, जीएसटी संख्या, बैंक खाता खोलना आदि जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए एजाइल प्रो-एस नामक लिंक किए गए प्ररूप के साथ एक नया ई-प्ररूप एसपीआईसी+ शुरू करना ताकि व्यवसाय तुरंत शुरू किया जा सके। इसी तरह, एक ही आवेदन में सीमित देयता भागीदारी के लिए समान सेवाएं प्रदान करने के लिए नया ई-प्ररूप एफआईएलएलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) पेश किया गया था;

जारी...3/-

(viii) ऐसी छोटी कंपनी जिसकी चुकता पूंजी 4.00 करोड़ रुपए से अधिक न हो तथा कारोबार 40.00 करोड़ रुपए से अधिक न हो, की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर लघु कंपनियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इसी प्रकार, छोटे एलएलपी की अवधारणा पेश की गई है जो अनुपालन की लागत को कम करने के लिए कम अनुपालन, कम शुल्क के अधीन है;

(ix) 15.00 लाख रुपए तक की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनी के निगमन के लिए शून्य शुल्क;

(x) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय के लिए विस्तारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया में स्टार्टअप्स का अन्य स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के साथ विलय शामिल है, ताकि विलय और समामेलन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके;

(xi) वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करना;

(xii) किसी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण के लिए शून्य लागत;

(xiii) मंत्रालय ने कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना) नियम, 2024 जारी किया है जिसमें भारतीय सार्वजनिक कंपनियों को जीआईएफ़टी आईएफ़एससी में अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है।

*****